तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/10193/2001/सीकर मदनलाल बनाम नेमीचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ (कैम्प जयपुर)
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमन्त दीक्षित, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री श्यामबाबू पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के निर्णय दिनांक 31/10/2000 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

हस्तगत प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानी मीमों में अंकित विवादग्रस्त आराजी के 1/6 के हिस्सेदार प्रार्थी/निगराकार के दादा लच्छाराम रिकार्डेड खातेदार थे। लच्छाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी उसकी पत्नि जीवनी के नाम आ गई। जीवनी द्वारा उक्त पुश्तैनी भूमि को दिनांक 02.5.86 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा द्वारा अप्रार्थी के नाम तहरीर करा दिया। जीवनी का स्वर्गवास हो चुका है। वर्तमान में उक्त विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है। विरासत के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरकरण संख्या 344 दिनांक 15. 8.99 प्रार्थी के पक्ष में तस्दीक कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नामांतरकरण की अपील परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.12.1999 से स्वीकार करते हुये प्रकरण पुनः जांच हेतु रिमाण्ड कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुरने अपने निर्णय 31.10.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/10193/2001/सीकर मदनलाल बनाम नेमीचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2000 से प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के उक्त निर्णय से ग्रसित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, विधि विरूद्ध एवं अपने क्षेत्राधिकार दुरूपयोग करते हुए पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है। उक्त पैत्रक भूमि का किसी भी प्रकार से वसीयत करने का अधिकार मु. जीवनी को नहीं था एवं ना ही उक्त वसीयत ग्रम पंचायत अथवा अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश हुई । विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि मृतक लच्छाराम एवं पत्नि जीवनी की स्वअर्जित भूमि है अथवा पैतृक भूमि है तथा मृतक जीवनी को इस प्रकार की भूमि की वसीयत करने का उन्हें अधिकार था अथवा नहीं। इन समस्त तथ्यों की जांच किये बिना परीक्षण न्यायालय ने अपनी विधि विरूद्ध आदेश से प्रकरण को रिमाण्ड कर दिया। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ही अपीलीय न्यायालय ने अपने मस्तिष्क का उपयोग किये बिना ही यथावत रख दिया, जो निरस्तनीय है। बहस के अतं में विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करते हुये निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/10193/2001/सीकर मदनलाल बनाम नेमीचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी के पक्ष में उसकी दादी मु0 जीवनी ने अपने अधिकार की 1/6 सम्पूर्ण भाग की भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत उसके नाम कराई थी। नामांतरकरण संख्या 344 पटवारी द्वारा सही भरा गया व गिरदावर द्वारा भी सही जांच की गयी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत होल्डर को छोड देना नियम विरूद्व था। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने समस्त तथ्यों की जांच कर व उन पर पूर्ण विचार करते हुये रजिस्टर्ड वसीयत के दस्तावेज के आधार पर ही नामांतरकरण खोलने का आदेश दिया था। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत था। प्रकरण से संबधित समस्त रिकार्ड के आधार पर ही अपीलीय न्यायालय ने भी अपना निर्णय पारित करने मे कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरन को खारिज करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। इस प्रकरण के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर ने अपने निर्णय के अंतिम पैरा में अंकित किया है कि– ‘‘ मु0 जीवनी ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पक्ष में दिनांक 02.05.86 को तस्दीक कराकर पंजीकृत करवा दी थी। पटवारी द्वारा नामान्तकरण सं. 344 सही भरा गया तथा भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 14.07.99 को सही जांच की थी परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत अनोखू द्वारा बिना किसी आधार या औचित्य या कारण अंकित किये रजिस्टर्ड वसीयत होल्डर को छोड़ दिया। उपखण्ड अधिकारी ने समस्त तथ्यों पर पूर्ण विचार किया है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज को सम्मान देते हुए रेस्पा. नं. 1 के पक्ष में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/10193/2001/सीकर मदनलाल बनाम नेमीचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तकरण खोलने को आदेश दिया है वह तथ्यों के अनुरूप है। सिविल न्यायाधीश क. खण्ड सीकर ने अपीलार्थी के पुत्र चन्द्रशेखर एवं पत्नी श्रीमती बनारसी देवी द्वारा प्रस्तुत वसीयत को गलत करार देने संबंधी वाद में दिनांक 11.10.2000 को निर्णय होकर वाद खारिज कर दिया है इस प्रकार वसीयत वैद्य करार दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य सारगर्भित नहीं है। चूंकि निर्णय उपखण्ड अधिकारी की अनुपालना में नामान्तकरण स्वीकार हो जाना कथन किया गया है तो अब अपील भी निष्फल हो गई है। हम अपील को सारहीन होने से निरस्त योग्य पाते है।''

यहां यह उल्लेखनीय है कि वसीयत के निरस्तीकरण का वाद संबंधित सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10. 2000 को खारिज कर दिया गया है और वसीयत को वैध माना गया है। इस वसीयत को और उक्त निर्णय को किसी भी उच्चतर न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो। ऐसी किसी आदेश की प्रति आज दिनांक तक भी प्रस्तुत नहीं की गयी है। इसलिए यह वसीयत वैध व अंतिम रूप से स्वीकार करने योग्य है। इस सबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 15.12.1999 व 31.10.2000 यथावत रखे जाते हैं।

(रामनिवास जाट)
सदस्य